न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1955/2026
CNR No-UPBR01-006555-2026

राशिद बेग, नासिर बेग, वासिद बेग पुत्रगण स्व० राहत बेग,
निवासीगण मोहल्ला मुगलान, कस्बा व थाना सिरौली तहसील ऑवला, जिला बरेली।

बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या-228/2009
धारा-447, 467, 468, 420 भा०द०सं०
थाना-सिरौली, जनपद-बरेली।

<u>दिनांक-21.07.2026</u>

1. थाना सिरौली, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 228/2009, अन्तर्गत धारा 447, 467, 468, 420 भा०द०सं० में आवेदकगण **राशिद बेग, नासिर बेग** एवं **वासिद बेग** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण ने अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उन्हें अन्तरिम जमानत प्राप्त हुई। तदोपरान्त आवेदकगण वर्तमान समय में अन्तरिम जमानत पर हैं। दिनांक 10.07.2026 न्यायालय द्वारा आवेदकगण को अग्रिम नियत तिथि पर आत्मसमर्पण न करने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया था।

2. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उपरोक्त मुकदमा वादिनी मुकदमा द्वारा वर्ष 2009 में गलत कथनों के आधार पर एवं फर्जी रूप से आवेदकगण के विरूद्ध थाना सिरौली जिला बरेली में पंजीकृत कराया था जिसकी जानकारी होने पर आवेदकगण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आरोप पत्र तक स्टे दे दिया तथा आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात आवेदकगण द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली जहां पुनः आवेदकगण को स्टे दे दिया गया जिसके बाद आवेदकगण स्टे पर रहे तथा वर्ष 2022 में स्टे खारिज हुआ उसके पश्चात से आवेदकगण के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऑवला बरेली द्वारा गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिये जिसकी जानकारी होने पर आवेदकगण ने न्यायालय की शरण लेते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2025 को प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2025 को उपरोक्त मुकदमें की अभियुक्ता श्रीमती सायरा बी, शाहिदा बी व नौसीना बी अग्रिम जमानत मन्जूर की तथा नासिर बेग, राशिद बेग व वासिद बेग की जमानत निरस्त की गयी। अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद उपरोक्त मुल्जिमानों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण लेते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 04.07.2025 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आवेदकगण के अधिवक्ता

द्वारा उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया तत्पश्चात आवेदकगण ने अपने विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऑवला जिला बरेली द्वारा जारी गैर जमानती वारन्ट को समाप्त किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में धारा-528 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 27.01.2026 को आदेश संख्या 47203/25 पारित किया जिसमें आवेदकगण को तीन सप्ताह का समय अपनी जमानत वास्ते दिया गया जो कि दिनांक 18.02.2026 को समाप्त हो गया क्योंकि आवेदकगण अपनी पारिवारिक समस्याओं में उलझने के कारण नियत समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके जिसके लिए आवेदकगण क्षमा याची है। आवेदकगण द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऑवला जिला बरेली के समक्ष आत्मसर्मपण कर न्यायिक अभिराक्षा में आये हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 27.05.2009 को समय करीब 08:00 बजे वादिनी मुकदमा श्रीमती गंगोत्री द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। मामले के वास्तविक तथ्य यह है कि राहत बेग व विशन चन्द्र रस्तोगी ने 15 बिस्वा पुख्ता का 1/2 भाग बजरिए बैनामा दिनांक 09.06.1992 को सहखातेदारों से खरीदने के बाद उस पर 13 दुकानें बनवायी यह सम्पत्ति गाटा सं० 181 स्थित ग्राम सिरौली मुस्तकिल (टाऊन ऐरिया) परगना सिरौली तहसील ऑवला जिला बरेली में है। स्व० राहत बेग व विशन चन्द्र रस्तोगी ने इस सम्पत्ति पर 13 दुकाने बनवायर्थी राम औतार आदि द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर राहत बेग व विशन चन्द्र रस्तोगी ने एक दीवानी वाद सं0 466/1999 राहत बेग आदि बनाम राम औतार आदि माननीय सिविल न्यायालय में दाखिल किया जिसमें माननीय दीवानी न्यायालय द्वारा मौका मुआयने का आदेश दिया गया था और अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा दिनांक 14.04.2000 को कमीशन की कार्यवाही की गयी जिसमें 11 दुकानें निर्मित व दो दुकाने निर्माणाधीन पायी गयीं जबकि वादिनी गंगोत्री देवी का बैनामा दिनांक 31.05.2000 का है वादिनी गंगोत्री देवी का बैनामा दिनांक 31.05.2000 से पहले ही राहत बेग व विशन चन्द्र रस्तोगी द्वारा दुकानें बनवायी गयी थी तथा राहत बेग ने अपने जीवन काल में इस सम्पत्ति का कुछ भाग सायरा बी, शाहिदा बी, नौशीना बी व साजिद बेग के हक में बजरिए बैनामा बेचा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी मुकदमा श्रीमती गंगोत्री देवी का कथन है कि उन्होंने तथा सोहन लाल ने मिलकर गाटा सं0 181 रकबई 114 हे0 स्थित सिरौली की भूमि बतौर सह भागीदार के रूप में खरीदी थी अपनी व सोहनलाल की जमीन में 13 दुकानें निर्मित करायीं जिनमें से 9 दुकानें वादिनी व सोहन लाल ने विक्रय कर दीं चार दुकाने शेष बचीं प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अभियुक्तगण जो कि दबंग लोग हैं उन्होंने जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है और चार दुकानों पर जबरदस्ती आपराधिक अतिक्रमण कर लिया है। बदनियती से चारों दुकानों का फर्जी बैनामा सायरा बी, शाहिदा बी, नौशीना बी व साजिद बेग के हक में 08.05.2008 को कर दिया। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का कोई भी उल्लेख नहीं किया है कि किस दस्तावेज के आधार पर उक्त बैनामें किये गये हैं जो कि फर्जी की श्रेणी में आते हों तथा ना ही वादिनी मुकदमा द्वारा

अपनी रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि किस तारीख को आवेदकगण द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी है तथा ना ही घटना से सम्बन्धित किसी भी तिथि का उल्लेख किया गया है तथा वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में दिनांक 08.05.2008 को किये गये बैनामों के आधार पर थाने पर दिनांक 27.05.2009 को अभियोग पंजीकृत कराया जो कि विलम्ब से है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा विलम्ब का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है तथा मामला दीवानी विवाद से सम्बन्धित है। मुकदमा अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस की सांठ गांठ से आवेदकगण के विरूद्ध फर्जी रूप से बिना किसी साक्ष्य के आधार पर लिखाया गया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी स्वतंत्र गवाह अपने आरोप पत्र में नहीं दर्शाया है जो कि संदेहात्मक विषय है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त मुल्जिमान राशिद बेग, नासिर बेग व वासिद बेग द्वारा किसी प्रकार की छल, धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप नहीं दर्शाया है तथा न ही आवेदकगण द्वारा कोई कूटरचना की गयी है और न ही प्रश्नगत बैनामों में ना क्रेता है न ही विक्रेता है और न ही गवाह है इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त मुल्जिमानों को रंजिशन बतौर जान बूझकर नामजद एफ०आई०आर० किया गया है। आवेदकगण उपरोक्त मुकदमें की परिधि में नहीं आते हैं। उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमानों द्वारा किसी भी प्रकार की कूटरचना नहीं की गयी है जो बैनामा दिनांक 06.09.1992 को राहत बेग व विशन चन्द्र रस्तोगी के हक में हुआ। राहत बेग द्वारा अपनी खरीदी हुई सम्पत्ति में स्थित तीन किता दुकानों को जरिया बैनामा सायरा बी, शाहिदा बी, और नौशीना बी को विक्रय कर दिया इसके अलावा एक किता दुकान राहत वेग ने साजिद बेग के हक में विक्रय की जिसका बैनामा मौजूद है। वास्तव में कोई भी धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता है। विवादित सम्पत्ति अभियुक्तों के पिता राहत बेग ने वर्ष 1998 में क्रय करने के बाद अभिलेखों में अपना नामान्तरण कराया जिसके बाद वह उक्त सम्पत्ति के स्वामी बने। विवेचक ने उपरोक्त मामले में निष्पक्ष विवेचना नहीं की तथा दिनांक 27.06.2009 को गवाह नन्हें खां पुत्र शमशेर खां का व्यान धारा-161 सी०आर०पी०सी० में लिख डाला जबकि नन्हें खां पुत्र शमशेर खां का निधन दिनांक 25.03.2007 को हो गया था। वास्तव में जो बैनामा दुकानों का अभियुक्तगण श्रीमती सायरा बी, शाहिदा बी. नौशीना बी व साजिद बेग के हक में हुआ है वह दुकानें वादिनी ने गाटा सं० 181 में जब हिस्सा खरीदा उससे पहले की बनी हुई थीं तथा उक्त दुकाने मुल्जिमानों के पिता के कब्जे में थीं जिस पर वह काबिज व दखील चले आ रहे थे। दुकानों के निर्माण के समय कस्बा सिरौली के भूमाफिया राम औतार आदि ने उक्त दुकानों पर कब्जा करने की नियत से व्यवधान उत्पन्न किया तो राहत बेग ने राम औतार आदि पर दिनांक 24.09.1999 को ही सिविल वाद दायर कर दिया था उस मुकदमें में दुकानों के सम्बन्ध में कमीशन जारी हुआ था जिसमें 11 दुकानें निर्मित तथा दो दुकानें निर्माणाधीन पायी गयी थीं जब दुकानें गंगोत्री देवी के बैनामें दिनांक 31.05.2000 से पूर्व की बनी हुई थीं तब उनके द्वारा लिखायी गयी रिर्पोट से स्पष्ट है कि वह दुर्भावना से ग्रसित है। उपरोक्त मामले में सहअभियुक्त साजिद बेग की नियमित जमानत 25.01.2009 को न्यायालय से

स्वीकार की जा चुकी है। दिनांक 26.03.2025 को सहअभियुक्त श्रीमती सायरा बी, शाहिदा बी, नौशीना बी की अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय द्वारा मन्जूर की जा चुकी है तथा उपरोक्त मुल्जिमान राशिद बेग, नासिर बेग, की अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी। उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिमान निर्दोष हैं तथा वादी मुकदमा द्वारा दुर्भावना से आवेदकगण के विरूद्ध झूठे कथनों के आधार पर नामजद एफ०आई०आर० कराया है।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शामिल अभिलेखः-</u>

1. मदन लाल द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र,
2. वासिद बेग के पक्ष में पंजीकृत बिक्रय पत्र दिनांक 09.06.1992 की प्रति,
3. राहत बेग द्वारा श्रीमती शाहिदा बी पत्नी नासिर बेग, श्रीमती नौसीना बी पत्नी राशिद बेग, श्रीमती सायरा बी पत्नी राहत बेग और श्री कादर के पक्ष में निष्पादित बिक्रय अभिलेख की छायाप्रति,

<u>जमानत प्रार्थना पत्र के विरुद्ध दाखिल आपत्ति व अभियोजन के तर्कः-</u>

3. घटना काफी पुरानी दिनांक 27.05.2009 समय 8.30 बजे की है। घटना के अनुसार वादीगणों द्वारा एक घटना की थी जिसकी सूचना देने वादिनी सम्बन्धित थाने गयी थी और एक लिखित प्रार्थना पत्र घटना वाले दिन ही थानाध्यक्ष सिरौली को दिया था जिसे वादिनी ने अपने साथ घटित हुयी घटना के सम्बन्ध में सूचना दी थी जो बताया गया था। वादिनी की चार दुकाने हैं जिसपर अभियुक्तगणों ने दबंगई भू-माफियों की तरफ हेकडी व जबरदस्ती के बल पर कब्जा कर लिया है क्योंकि वादिनी कस्बा सिरौली की रहने वाली नहीं है तथा एक महिला है उसका नाजायज फायदा उठाकर आपराधिक बल पर वादिनी की चार दुकानों की क्षति भी पहुँचायी है तथा फर्जी अभिलेखों को तैयार कर वादिनी की सम्पत्ति को बदनियति से हड़पने की नियत से चारों दुकानों का फर्जी बयनामा करने का हक न रखते हुये अपनी पत्नी सायरा बी पत्नी राहत बेग, शाहिद बी पत्नी नासिर बेग, नौसीना पत्नी राशिद बेग तथा साजिद बेग पुत्र राहत बेग को कर दिया है। वादिनी को जब पता चला तो वादिनी कस्बा सिरौली आयी और दुकानों पर कब्जा किये हुये लोगों से इस सम्बन्ध में बातचीत व शिकायत की तब ही मुल्जिमानों ने जान से मारने की धमकी दी थी जिसपर एफ.आई.आर. दर्ज हुयी। विवेचना होकर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हुयी। उपरोक्त मुकदमा जब न्यायालय में आया और पत्रावली पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तथा सब ही अभियुक्तगण को दिनांक 02.09.2015 को न्यायालय में हाजिर न होकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद चले गये। क्रिमिनल रिविजन सं०-3419/2015 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा दिनांक 15.09.2015 को एक आदेश पारित किया इस आदेश के अनुसार उपरोक्त मुकदमें में स्टे प्रदान किये जिसे अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 08.10.2025 को सक्षम न्यायालय में दाखिल किया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमें की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा दिनांक 24.11.2022 को दायर किये गये क्रिमिनल रिवीजन 3419/2015 में आदेश पारित किया गया कि मुकदमें का विवाद काफी पुराना है कोई भी हाजिर नहीं है। इस कारण क्रिमिनल रिवीजन पदच्युत/डिसमिस

किया गया और सम्बन्धित न्यायालय की अगली कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश न्यायालय में अमल में आने के बाद न्यायालय द्वारा सम्मन तामील द्वारा अभियुक्तगणों को सूचना दी गयी। अभियुक्तगणों को मुकदमें के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त है फिर भी सब ही अभियुक्तगण सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर हुए हैं। प्रार्थना पत्र में लिखे गये अधिकार तथ्य फर्जी, बनावटी व मनगढ़ंत है। सभी अभियुक्तगणों पर अवैध कब्जा कर बदनियत व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर चारों दुकानों का फर्जी बयनामा अपने सगे सम्बन्धियों को कर दिया है। जिस वादिनी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। उपरोक्त सम्पत्ति को बेचने व खुर्द वुर्द करने का अधिकार अभियुक्तगणों को नहीं था और न है। अभियुक्तगण जो जमानत लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संगीन धाराओं में केस दर्ज होकर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी है। अभियुक्तगण वाद को लम्बित रखने हेतु तथा हेकड़ी बदमाशी व दबंगई के बल पर सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं और गलत तथ्य दर्शाकर न्यायालय को भ्रमित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वाला-वाला कार्यवाही कर रहे हैं इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण दीवानी प्रक्रिया में भी वाद दायर कर वादिनी को भयभीत व परेशान कर रहे हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध फौजदारी के बहुत से मुकदमें दर्ज हैं जिनमें अभियुक्तगण अपने राजनैतिक रसूख तथा पैसों के बल पर मुकदमा को न्यायालय में लम्बित किये हुये हैं उनमें कोई निर्णय नहीं होने दे रहे हैं मुकदमों का विवरण निम्नवत है:-

I. मु०अ०सं०-228/2009 धारा 420, 467, 468, 447 भा०द०सं० थाना सिरौली, जिला बरेली।
II. मु०अ०सं०-867/2009 धारा 447, 504, 506, 427 भा०द०सं० थाना सिरौली, जिला बरेली।
III. एन०सी०आर० नं०-109/11 धारा 504 भा०द०सं०, थाना सिरौली, जिला बरेली।
IV. मु०अ०सं०-140/2014 सरकार बनाम राशिद बेग आदि धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा०द०सं० थाना सिरौली, जिला बरेली।
V. मु०अ०सं०-251/2015 धारा 323, 504, 506 भा०द०सं०
VI. मु०अ०सं०-106/2019 सरकार बनाम राशिद बेग आदि धारा 420, 504, 506 भा०द०सं०
VII. मु०अ०सं०-56/2023 सरकार बनाम राशिद बेग आदि धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० एवं 3/1/10 एस.सी./एस.टी. एक्ट आदि।
VIII. मु०अ०सं०-309/2023 सरकार बनाम राशिद बेग आदि धारा 379, 427, भा०द०सं०

4. इस सम्बन्ध में विशन चन्द्र रस्तोगी पुत्र बद्री प्रसाद रस्तोगी ने दिनांक 20.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र अभियुक्तगणों जो भू-माफिया व समाज विरोधी तत्व हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध थाने में उपरोक्त लिखित मुकदमें दर्ज हैं का उल्लेख किया गया था। अभियुक्तगणों को न्यायालय से जमानत मिल जाती है तो उसका वह दुरुपयोग वादिनी के विरुद्ध करेंगे तथा वादिनी अपने मुकदमें का सही तरह अपने वाद की पैरवी नहीं कर सकेगी। अभियुक्तगणों द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सह

अभियुक्तगणों का अलग अलग शपथपत्र दिया है। शपथपत्र में लिखे गये तथ्य सभी प्रकार से हैं। शपथपत्र तैयार करते समय नियमों का सही पालन नहीं किया गया है। शपथपत्र देने वालों की उम्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। शपथपत्र के सभी नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा जमानत प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों का सभी शपथकर्ताओं ने 1 लगायत 16 पर बल देने के सम्बन्ध में लिखा है तथा सभी शपथकर्ताओं ने एक साथ मिलकर शपथपत्र दिये हैं तथा राशिद बेग के शपथपत्र के तस्दीक में गलत तिथि दर्शयी गयी है इस कारण सभी शपथपत्र के साथ पढने योग्य नहीं है। घटना प्रपत्रों के अनुसार गम्भीर प्रवृत्ति की है। दबंगई के बल पर भूमाफियों की तरफ से एक महिला की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने व हड़पने की नियत से आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दायर कर उनका प्रयोग किया गया है सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये ही अभियुक्तगण को जमानत पाने का अधिकार नहीं है।

<u>अभियोजन की ओर से आवेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में आवेदकगण द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण।</u>

I. मजीद आपत्ति में मु0 अ 0 सं0-228/2009 धारा-420,467,468,447 आई०पी०सी० थाना सिरौली (इसके सम्बन्ध में यही जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है)

II. मु0 अ 0 सं0-867/09 धारा-447,504,506,427 आई०पी०सी० थाना सिरौली (प्रार्थीगण जमानत पर हैं जमानत आदेश दिनांक 03.12.2010 पूर्व में दाखिल शपथपत्र की क्रम सं० 10 में दाखिल है)

III. एन०सी०आर० विरूद्ध उपरोक्तानुसार थाना सिरौली एन०सी०आर० नं0-109 2011 धारा-504 आई०पी०सी० (इसमें 107/116 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही हुई और कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।)

IV. मु0 अ 0 सं0-145/2012 धारा-3 उत्तर प्रदेश गुण्डा एक्ट सरकार बनाम उपरोक्तानुसार थाना सिरौली (उक्त की अपील श्रीमान आयुक्त बरेली मण्डल बरेली के यहां की गयी जो दिनांक 23.02.2013 को अपील स्वीकार कर प्रार्थीगण के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हुई। आदेश की कॉपी पूर्व शपथपत्र के क्रम सं0 11 व 12 नं० पर दाखिल है।

V. मु०अ०सं० 0-140/14 सरकार बनाम राशिद बेग आदि धारा 420,467,468, 471,504,506 आई०पी०सी० थाना सिरौली (माननीय उच्च न्यायालय से स्टे का आदेश पारित है स्टे आदेश की कॉपी व स्टेटस पूर्व में दाखिल शपथपत्र के क्रम सं० 13 व 14 पर दाखिल है।

VI. मु०अ०सं०/एन०सी०आर० सं०-251/15 धारा-323,504,506 आई० पी०सी० बादहू अन्तर्गत धारा-323,324,504,506 आई०पी०सी० (प्रार्थीगण जमानत पर हैं जमानत आदेश दिनांक 29.08.2016 पूर्व में दाखिल शपथपत्र की क्रम सं0 15 पर दाखिल है)

VII. मु०अ०सं०-106/19 सरकार बनाम राशिद बेग आदि धारा-420,504,506 आई०पी०सी० (जमानत आदेश दिनांक 06.07.2022 पूर्व में दाखिल शपथपत्र की क्रम सं0-16 पर दाखिल है)

VIII. मु0 अ 0 सं0-56/2023 सरकार बनाम राशिद बेग आदि धारा-323,504,506 आई०पी०सी० एवं 3 (1), एस०सी०/एस०टी० एक्ट (उक्त मुकदमा वादी द्वारा वापस किया गया जिसके आदेश दिनांक 06.08.2024 की कॉपी पूर्व में दाखिल शपथपत्र की क्रम सं० 17 पर दाखिल है

IX. मु0 अ 0 सं0-309/2023 सरकार बनाम, राशिद बेग आदि धारा-379/427 आई०पी०सी० थाना सिरौली (जिसमें विवेचक अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी जो न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ऑवला बरेली दिनांक 10.07.2025 को स्वीकार की गयी जिसके आदेश की कॉपी पूर्व में दाखिल शपथपत्र की क्रम सं० 18 पर दाखिल है।

<u>राशिद बेग की ओर से दाखिल शपथ पत्र में उल्लिखित प्रपत्र।</u>

I. प्रमाणित प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित 30.12.2005 जो सोहनलाल ने सत्यप्रकाश को किया।

II. प्रमाणित प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित 09.06.1992 जो राहत बेग को विक्रय की गयी।

III. नकल फोटो कॉपी वादपत्र वर्ष 2013 एवं नकल कमीशन रिपोर्ट दिनांकित 12.09.2013 न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) कक्ष सं०-7 बरेली।

IV. छायाप्रति कमीशन रिपोर्ट दिनांकित 24.04.2000 राहत बेगम आदि बनाम राम औतार आदि

V. फोटो कॉपी समझौता बावत बटवारा मध्य राहत बेग व विशन चन्द दिनांकित 29.12.2005,

VI. फोटो कॉपी स्टे आर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट दिनांकित 08.10.2010 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 सी.आर.पी.सी. सं०-31961/2010

VII. फोटो कॉपी स्टे आर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट दिनांकित 15.09.2015 फौजदारी निगरानी संख्या 3419/2015

VIII. फोटो कॉपी आर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट दिनांकित 24.11.2022

IX. फोटो कॉपी रेस्टोरेशन स्टेट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट

X. प्रमाणित प्रतिलिपि जमानत आदेश न्यायालय जे०एम० द्वितीय, ऑवला, बरेली दिनांकित 03.12.2010

XI. फोटो कॉपी नकल न्यायालय आयुक्त बरेली मण्डल बरेली दिनांकित 15.01.2014 राशिद बेग बनाम सरकार

XII. छायाप्रति स्टे आर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट फौ०नि० सं०-3602/2018 राशिद बेग आदि

XIII. नकल जमानत आदेश न्यायालय जे०एम० द्वितीय ऑवला बरेली दिनांकित 06.07.2022,

XIV. फोटो कॉपी आदेश न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट बरेली दिनांकित 06.08.2024,

XV. प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश एफ.आर. स्वीकृत दिनांकित 10.07.2025 न्यायालय जे०एम० द्वितीय ऑवला बरेली।

5. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को विस्तार से सुना गया तथा उभय पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों का गंभीरता से अध्ययन किया गया इसके अलावा आरोप पत्र में संलग्न प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती गंगोत्री द्वारा थाना सिरौली, जिला बरेली पर इस आशय की नकल तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वादिनी गंगोत्री पत्नी रमेश चन्द्र रस्तोगी निवासी मो० कैथ वाली मस्जिद रामपुर की हूँ तथा सोहन लाल पुत्र श्री छोटे लाल रस्तोगी निवासी मो० अमीर अली कस्बा व थाना शाहबाद जिला रामपुर ने मिलकर आराजी गाटा सं० 181 रकवई

0.114 हे0 स्थित कस्बा सिरौली बतौर सहभागीदार के रूप में खरीद की थी तथा वादिनी अपनी व श्री सोहन लाल की खरीद की गयी जमीन में लगभग 13 दुकानें निर्मित करवाई, जिसमें से लगभग 9 दुकानें वादिनी व सोहन लाल द्वारा विक्रय कर दी गयी तथा चार दुकानें अवशेष बचती हैं। स्व० श्री राहत वेग पुत्र आगाजान वेग, राशिद बेग, नासिर वेग, वासिद बेग, साजिद बेग पुत्राण राहत बेग जो कि कस्बा सिरौली के भूमाफिया व दबंग एवं गिरोह बन्द किस्म के व्यक्ति है, और हेकड़ी व जबरदस्ती के बल पर लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा करना इनकी फितरत है तथा समाज के सामान्य व्यक्तियों से दबंगई के बल पर हफ्ता वसूली करना इनका मुख्य कार्य है तथा वादिनी के कस्बा सिरौली में न रहने का नाजायज फायदा उठाकर इन लोगो के द्वारा चार दुकानें जबरदस्ती आपराधिक अतिक्रमण करते हुए वादिनी को क्षति पहुंचाई तथा इसके अलावा भी इन्हीं लोगों के द्वारा कस्बे के सम्मानित व्यक्ति विशन चन्द रस्तोगी की जमीन पर भी नाजायज कब्जा किया गया और अब आकर वादिनी की सम्पत्ति को बदनीयती से हड़पने की गरज से चारों दुकानों का फर्जी बैनामा हक न रखते हुए भी सायरा बी पत्नी राहत बेग, शाहिदा बी पत्नी नासिर बेग, नौशीना बी पत्नी राशिद बेग तथा शाजिद बेग पुत्र राहत बेग निवासीगण कस्बा सिरौली के हक में दिनांक 08.5.08 को करा दिया। वादिनी ने जब इसकी शिकायत इन लोगो से की तो जान माल की धमकी देते हुए गाली गलौच भी की।

7. वर्तमान मामले में आवेदकगण पर धारा 447, 467, 468, 420 भा०द०सं० का आरोप है। धारा 447 भा०द०सं० जमानतीय अपराध है। धारा 467, 468, 420 भा०द०सं० छेड़छाड़, कूटरचना व कूटरचित दस्तावेज के प्रयोग के सन्दर्भ में है।

8. आवेदक द्वारा अपनी जमानत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत विवादित भूमि को राहत बेग और विशन चन्द्र रस्तोगी द्वारा क्रय करने और उसपर 13 दुकाने बनवाकर उनको विक्रय करने का उल्लेख किया है और समर्थन में विक्रय विलेख आदि प्रपत्र भी दाखिल किये हैं। वादी की तरफ से दाखिल आपत्ति में उक्त तथ्यों का मुखर विरोध नहीं किया गया है। मात्र आवेदकगण की दबंगई और जोर जबरदस्ती के तथ्यों का उल्लेख किया गया। जान से मारने की धमकी का उल्लेख किया गया। फर्जी बैनामा करने का आरोप वर्णित किये गये जबकि जिस बैनामे से सायरा बी पत्नी राहत बेग, शाहिदा बी पत्नी नासिर बेग, नौसीना बी पत्नी राहत बेग को सम्पत्ति अन्तरित की गयी है उसके निस्पादन में आवेदकगण की किसी भी भूमिका का उल्लेख आपत्ति में नहीं है और आवेदकगण की तरफ से तर्क दिया गया है कि साक्ष्यों से भी आवेदकगण की भूमिका दर्शित नहीं है मात्र वह मुख्य लाभार्थी के पति व रिश्तेदार हैं, परिलक्षित हो रहा है।

9. आवेदकगण का यह भी तर्क है कि वादिनी की तरफ से स्वयं को अधिकार के दावे के आधार को भी जमानत के स्तर पर स्पष्ट नहीं किया गया है।

आपत्ति के साथ किसी भी प्रकार के विक्रय विलेख या अधिकार प्राप्त होने वाले अभिलेख को संलग्न नहीं किया गया है।

10. यह तथ्य विवादित नहीं है कि जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तक अभियुक्तगण अभिरक्षा में नहीं थे। दौरान विवेचना और विवेचना के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया था। अभियुक्तगण की अनुपस्थिति के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कर दी गयी और उसके पक्ष में जारी अन्तरिम आदेश भी निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इसके पश्चात् आवेदकगण के विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारण्ट को चुनौती दी गयी जिसमें दिनांक 27.10.2026 को तीन सप्ताह के अन्दर हाजिर होने का निर्देश दिया गया। यह सही है कि आवेदकगण ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया बल्कि यह कथन किया है कि पारिवारिक उलझनों के कारण भी आत्मसमर्पण नहीं कर सके। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आवेदकगण ने आत्मसमर्पण किया। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवायी के दौरान अन्तरिम जमानत पर निर्मुक्त किये जाने की दशा में उसका अनुपालन आवेदकगण द्वारा किया जाना दर्शित हो रहा है। उसके उल्लंघन का कोई तथ्य परिलक्षित नहीं हो रहा है।

11. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवेदकगण के आपराधिक इतिहास के परिशीलन से परिलक्षित हो रहा है कि वर्तमान मामला, जो कि मुकदमा अपराध सं०-228/2009 से सम्बन्धित है, आवेदकगण के विरुद्ध सबसे पहला वाद था उसके बाद जितने भी मामले उनके विरुद्ध संस्थित किये गये है वह या तो समाप्त हो चुके हैं या आवेदकगण उनमें जमानत पर हैं।

12. आवेदकगण द्वारा धोखाधड़ी करने, कूटरचना करने या कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग करने की कोई साक्ष्य न होने का तर्क आवेदकगण की तरफ से दिया गया है।

13. वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है और उनके विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा धारा 82/83 द०प्र०सं० की कार्यवाही भी अमल में लायी जा चुकी है। इस सन्दर्भ में न्यायालय का मत है कि वर्तमान मामले में पारित आदेशों की परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा घटना घटित होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के अनुपालन में व्यतीत समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण की जमानत पर निर्णय लिया जाना विधिसंगत होगा।

14. उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त एवं मामले के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदकगण की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

15. आवेदकगण **राशिद बेग, नासिर बेग** एवं **वासिद बेग** का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

16. आवेदकगण प्रत्येक को 60,000-60,000/-(साठ-साठ हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. सं०-6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0 प्र0 राज्य व एक अन्य 2025 ए एच सी 136034** में पारित आदेश के अनुपालन में समान धनराशि का एक-एक प्रतिभू 15 दिवस के अंदर विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल करने की दशा में निम्न शर्तो के अधीन नियमित जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है:-

I. आवेदकगण को आदेशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण अग्रिम नियत तिथि को उपस्थित हों तथा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल आई.डी. और निवास का पता दाखिल करें और यदि वह विचारण के दौरान अपना निवास परिवर्तित करते हैं तो इसकी सूचना भी विचारण न्यायालय को उपलब्ध करायें।

II. यह कि आवेदकगण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामलें के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नही देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मना किया जा सके।

III. यह कि आवेदकगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नही छोडेंगे तथा विवेचना में सहयोग करेंगे।

17. आदेश की एक प्रति मूल विचारण पत्रावली में रखी जाये।

दिनांकः 21.07.2026

(प्रदीप कुमार सिंह-II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.07.23 11:26:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court